अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना

मुख्य उद्देश्य–

- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुये अलग–अलग भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक विशिष्टताओं एवं सम्भावनाओं के अनुरूप रोजगार परक परियोजनाओं से लाभान्वित कराना।

पात्रता–

- लाभार्थी प्रमुखतः ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हो, अर्द्धशहरी क्षेत्र का भी निवासी लाभान्वित हो सकता है।
- कोई भी उद्यमशील व्यक्ति बेरोजगार, अर्द्ध बेरोजगार, जो अपना व्यवसाय करने में रूचि रखता हो।
- राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों को इस योजना में स्वरोजगार हेतु प्राथमिकता।
- योजनान्तर्गत न्यूनतम 22 प्रतिशत लाभार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति के अवश्य लाभान्वित होंगे।

लक्षित लाभार्थी–

- ऐसे लाभार्थियों को लाभान्वित करने में प्राथमिकता दी जाती है जो एस.जी.एस.वाई./आजीविका मिशन व अन्य योजना या अन्य विभागों से प्रशिक्षण प्राप्त हो।

अनुदान–

- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों के लाभार्थियों को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000/– तथा अन्य लाभार्थियों के लिए 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 7500/– तक राज सहायता/शासकीय अनुदान की सुविधा दी जाती है। इकाई लागत की शेष धनराशि बैंकों से ऋण प्राप्त कर वित्त पोषित होगी ।

ईकाई लागत –

- योजनान्तर्गत उक्त आर्थिक कार्यकलाप/उद्यम स्वभाव के अनुसार परियोजना की इकाई लागत निर्धारित होती है। औसत इकाई लागत रू0 80000/– अथवा इससे भी अधिक हो सकती है, परन्तु 50000/– से न्यून नहीं होगी।

अनुश्रवण–

- योजना की प्रगति का आनलाइन अनुश्रवण विभाग की वेबसाइट–rd.up.nic.in के माध्यम से किया जाता है ।

————